भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 4651

दिनांक 12.08.2014/21 श्रावण, 1936 (शक) को उत्तर के लिए

हिन्दी वेबसाइटों को अद्यतन करना

4651. श्री छोटेलाल :

श्री देवजी एम० पटेल :

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐसी जानकारी मिली है कि हिन्दी में सरकारी वेबसाइटों को समुचित ढंग से नहीं रखा जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अंग्रेजी वेबसाइटों को नियमित आधार पर अद्यतन किया जाता है जबकि अनेक हिन्दी लिंकों पर कोई नई सूचना प्रदान नहीं की जाती है; और

(घ) यदि हां, तो हिन्दी वेबसाइटों को अद्यतन करने के लिए क्या सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री किरेन रिजिजू)

(क) और (ख) : जी, हां। उपलब्ध सूचना के अनुसार, 29 मंत्रालयों/विभागों की वेबसाइटों को पूर्णरुपेण हिंदी में अद्यतन नहीं बनाया गया है। इन मंत्रालयों की सूची संलग्न है।

(ग) और (घ) : जी, हां । कुछ वेबसाइटों को हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में एक साथ अद्यतन बनाया जाता है, जबकि कुछ वेबसाइटों में हिन्दी सामग्री को उपयुक्त रूप से अद्यतन नहीं बनाया गया है। राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में, केन्द्र सरकार के कार्यालयों में हिन्दी के प्रयोग के लिए सभी मंत्रालयों/विभागों की हिन्दी वेबसाइटों को अद्यतन बनाए जाने के लिए 100 % लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समय-समय पर यह निर्देश जारी किए गए हैं कि सभी मंत्रालय/विभाग यह सुनिश्चत करें कि उनकी वेबसाइटों तथा उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की वेबसाइटों पर उपलब्ध अंग्रेजी की समस्त सामग्रियों/दस्तावेजों को हिन्दी में भी अद्यतन बनाया जाए। हिन्दी में वेबसाइटों को अद्यतन बनाने के लिए 15 जुलाई, 2014 को अद्यतन निर्देश जारी किए गए हैं। इस संबंध में हुई प्रगति की निगरानी मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट के माध्यम से भी की जाती है। कार्मिकों को कम्प्यूटर पर हिन्दी में कार्य करने में सक्षम बनाने और इसके परिणामस्वरूप उनके द्वारा अपनी वेबसाइटों को अद्यतन बनाने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र ने यूनिकोड में प्रशिक्षण का आयोजन किया है।

****

लोक सभा अता० प्र० सं० 4651

उन मंत्रालय/विभागों की सूची जिनकी वेबसाइटें पूर्ण रूप से हिन्दी में नहीं हैं

(मार्च 2014 की तिमाही प्रगति रिपोर्ट में प्रदत्त सूचना पर आधारित)

क्र.सं.	मंत्रालय/विभाग का नाम
1.	अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
2.	आयुष विभाग
3.	आवास एवं शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय
4.	उपभोक्ता मामले विभाग
5.	उर्वरक विभाग
6.	फार्मास्यूटिकल विभाग
7.	कारपोरेट कार्य मंत्रालय
8.	कृषि एवं सहकारिता विभाग
9.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग विभाग
10.	दूर संचार विभाग
11.	नागर विमानन मंत्रालय
12.	पंचायती राज मंत्रालय
13.	परमाणु ऊर्जा विभाग
14.	पर्यटन मंत्रालय
15.	पशुपालन एवं डेयरी विभाग
16.	पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
17.	पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
18.	जहाज रानी मंत्रालय
19.	प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग
20.	भारतीय निर्वाचन आयोग
21.	भूमि संसाधन विभाग
22.	रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग
23.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
24.	विधि कार्य विभाग
25.	शहरी विकास मंत्रालय
26.	सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय
27.	सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
28.	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
29.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

*****